

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खेमसिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर)

न. व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में  
जारी हुए

31-07-24

सू.अ.अपील संख्या 90/2024

अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27/04/2024 में नायब तहसीलदार झंवर के द्वारा वर्ष 2017-18 में क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ पटवार मण्डलों में किये गये निरीक्षणों के पटवार मण्डलों की प्रमाणित सूची एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)

जिला कलक्टर, जोधपुर-ग्रामीण

जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.